न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–50 सन् 2020

विसर राय.....वादी।

बनाम

राजेन्द्र राय .....प्रतिवादी।

दिनांक–27.09.2022

प्रतिवादी सं0 1, 7 ता 10 की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिनांक 15.03.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण ने जानबूझकर बयान तहरीरी देने में विलंब किया है। कागजात का नकल लेने में विलंब होने के कारण बयान तहरीरी देने में विलंब हुआ है। न्यायहित में बयान तहरीरी को ग्रहण करना आवश्यक है ताकि मुकदमा में संघर्ष कर सके। बयान तहरीरी स्वीकार नहीं होने से प्रतिवादी न्याय से वंचित हो जाएंगे तथा प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि विलंब अवधि को माफ करते हुए बयान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 22.03.2022 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु वादी द्वारा सम्मन तथा निबंधित सम्मन की पैरवी दिनांक 27.11.2020 को की गई तथा प्रकाशन अखबार के माध्यम से 15.02.2021 को पैरवी की गई जिसकी प्रति वाद में संलग्न है तब भी प्रतिवादी जानबूझकर अनुपस्थित रहे। तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2021 को प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला संपुष्ट कर वाद एकपक्षीय कार्रवाई हेतु नियत की गई। दिनांक 06.07.2021 को प्रतिवादी सं0 01, 07 ता 10 की ओर से एक आवेदन दिया गया कि तामिला संपुष्ट की कार्रवाई वापस लेते हुए बयान तहरीरी का अवसर प्रदान किया जाए लेकिन तब भी बयान तरीरी नहीं दी गई। तदोपरांत पुनः दिनांक 15.03. 2022 को प्रतिवादी सं0 01, 07 ता 10 की ओर से बयान तहरीरी दाखिल करते हुए विलंब माफ करते हुए बयान तहरीरी स्वीकार करने की

निवेदन किया गया है। उल्लेखनिय है कि बयान तहरीरी स्वीकार करने वाले आवेदन में एकपक्षीय कार्रवाई को वापस लेने का निवेदन भी नहीं है न विलंब माफ करने का कोई आधार। साथ ही जानबूझकर वादी के अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने इंतनाई आवेदन का कोई प्रतिउत्तर भी नहीं दिया गया है। जबकि इस वाद में उक्त प्रतिादी 06.07.2021 को ही उपस्थित हो गए हैं तथा उनके विरूद्ध प्रकाशन तक की कार्रवाई हो चुकी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 15.03. 2022को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से सम्मन तथा निबंधित सम्मन तथा अखबार प्रकाशन के पश्चात् भी प्रतिवादी उक्त वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2021 को प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला संपुष्ट कर वाद एकपक्षीय सुनवाई हेतु नियत की गई। प्रतिवादी द्वारा 06.07.2021 को प्रतिवादी सं0 1, 7 ता 10 की ओर से एक आवेदन दाखिल कर तामिला संपुष्ट की कार्रवाई वापस लेते हुए बयान तहरीरी का अवसर प्रदान किया जाए लेकिन फिर प्रतिवादी अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं किए। प्रतिवादी दिनांक 06. 07.2021 को उक्त वाद में उपस्थित हुए। प्रतिवादी दिनांक 15.03.2022 को एक आवेदन दाखिल कर कुछ आवश्यक कागजात नहीं मिलने के कारण विलंब से बयान तहरीरी ग्रहण करने हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादी अपना बयान तहरीरी दाखिल कर उक्त वाद में संघर्ष करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्राह्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को 1500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए बयान तहरीरी को स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.....को सुनवाई हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।